



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2024—कार्तिक 7, शक 1946

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2024

क्र.—एफ—12—1—रा.स.—यू.ए.—5—2012—1278.—जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सात) एवं (आठ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को नामांकित किया गया है। अतः विश्वविद्यालय के परिनियम 22(अ)(1) के तहत अधिसूचित किया जाता है :—

अधिनियम की धारा 25(1)(सात) के अंतर्गत :—

श्री ब्रजेश दत्त अरजरिया,

53, बलदेव बाग, चेरीताल वार्ड, जबलपुर (म.प्र.).

अधिनियम की धारा 25(1)(आठ) के अंतर्गत :—

डॉ. एम. के. हरदहा,

बी—11, वृन्दावन केम्पस, पटेल नगर, महाराजपुर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.).

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के आदेशानुसार,  
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव।